



राजस्थान सरकार  
**निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान**

शास्त्री सर्कल, उदयपुर। दूरभाष: 0294-42415092

Web: www.mines.rajasthan.gov.in

Email: estt.uda.mg@rajasthan.gov.in



क्रमांक:-निदे/नियु-5/प.वरिष्ठता(ई-01690)/क.स./2026

—:: **कार्यालय आदेश** ::—

एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 11354/2018 जयसिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य समक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2024 एवं शासन आदेश क्रमांक प.4(5)खान/ग्रुप-1/2017 दिनांक 28.03.2018 की अनुपालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक निदे/प.8/(क)व.चा./II-III/प.1/2017/ई-07485 राजकाज रेफ. 20163852 दिनांक 29.01.2026 के द्वारा Rajasthan Mines and Geology Department Work Charge Employee (Service Conditions) Order 1974 के तहत नियुक्त कार्मिक श्री जय सिंह भाटी को, राजस्थान सब-ऑर्डिनेट ऑफिसेज मिनीस्ट्रीयल स्टाफ रूल्स, 1957 के तहत दिनांक 26.09.1989 से कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त मानते हुए परिणामस्वरूप दिए जाने वाले समस्त लाभ दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर वरिष्ठता का निर्धारण कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति दिनांक के आधार पर करने के आदेश जारी किये गए हैं।

उक्त आदेश के क्रम में श्री जय सिंह भाटी, कनिष्ठ लिपिक की कनिष्ठ लिपिक के पद पर वरिष्ठता श्री लक्ष्मीलाल मेनारिया के नीचे एवं श्री वासुदेव व्यास के ऊपर निर्धारित की जाती है।

(एम. पी. मीणा)  
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव (निदेशक/अनिप्र), केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर को सूचनार्थ एवं अवमानना याचिका संख्या 228/2025 में अग्रिम कार्यवाही हेतु।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर पदेन उपनिदेशक (आईटी), केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. खनि अभियन्ता, जोधपुर।
5. खनि अभियन्ता (याचिकाएँ), जोधपुर को अवमानना याचिका संख्या 228/2025 में अग्रिम कार्यवाही हेतु।
6. एसीआर लिपिक/स्ट्रेन्थ लिपिक/वर्कचार्ज लिपिक, केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर।
7. श्री जय सिंह भाटी, कनिष्ठ लिपिक द्वारा खअ, जोधपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

